

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री कौशल्या देवी मीना पता:- वन भवन अजमेर-305001।
बनाम



लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा।
अपील सं० 18/2020

निर्णय

दिनांक :02.07.2020


संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीड़ित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मँगवाई गई।

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के कारण कार्यवाही लम्बित रहने के पश्चात आज पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा से संबंधित है। किंतु आवेदक को वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्रांक: डीएम/कोर्ट/2020/950 दिनांक 18.03.2020 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। किंतु लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार लवाण, जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु पत्रावली में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार लवाण, के पत्रांक: भू०अ०/2020/08 दिनांक 03.01.2020 की छायाप्रति में अंकितानुसार आवेदक को चाही गई सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार लवाण के द्वारा सूचना के संबंध में अपीलांत को अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।




(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा